

Filling no. RCS-A/833/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 229 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/833/2017

CNR no. MP30010072302017

सिविल वाद क्रमांक 229 ए/2017

संस्थित दिनांक :-14 / 12 / 2017

1. मनीष पुत्र जसवंत सिंह, उम्र-22 वर्ष,
2. सपना पुत्री जसवंत सिंह, उम्र-19 वर्ष,
3. संगीता पुत्री जसवंत सिंह, उम्र-17 वर्ष,
4. आकाश पुत्र जसवंत सिंह, उम्र-14 वर्ष,
नाबालिग सरपरस्त पिता जसवंत सिंह
5. जसवंत सिंह पुत्र आशाराम, उम्र-45 वर्ष,
सभी निवासी-भीमनगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदकगण / वादीगण

//बनाम//

1. राजनश्री पत्नी जसवंत सिंह, उम्र-42 वर्ष,
निवासी-भीमनगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
वर्तमान पता-ग्राम परा का पुरा, परगना अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)अनावेदक / असल प्रतिवादी
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
3. रामकली बेवा आशाराम, उम्र-65 वर्ष,
निवासी-भीमनगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) तरतीबी प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह नरवरिया।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री जनक सिंह नरवरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री बलवीर सिंह बघेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक 28.04.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम लक्ष्मीपुरा, सर्किल भिण्ड, परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 148 क्षेत्रफल 1.47 हेक्टेयर के अंश भाग 0.36 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमि" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि वादी क्रमांक 1 से 4 के बाबा आशाराम व दादी प्रतिवादी क्रमांक 3 रामकली ने दिनांक 10.09.2007 व दिनांक 11.09.2007 को ग्राम तोर का पुरा स्थित भूमियों का विक्रय कर प्राप्त राशि 4,92,083/-रुपये से विवादित भूमि वादी क्रमांक 1 से 4 की मां प्रतिवादी क्रमांक 1 राजनश्री के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 से क्रय की। विवादित भूमि का प्रतिफल प्रतिवादी क्रमांक 1 ने नहीं अदा किया और मौके पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा भी नहीं सौंपा गया। वास्तव में विक्रेता को विवादित भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल आशाराम द्वारा अदा किया गया था, विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के लाभ या स्वामित्व के लिये नहीं खरीदी गई बल्कि वादीगण के लाभ व स्वामित्व के लिये वादीगण के ही हक में क्रय की गई थी और महिला के नाम पर पंजीयन शुल्क में छूट होने से दिखावटी तौर पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता लिखा गया था। इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई स्वत्व या मौके पर कब्जा नहीं है, वादीगण के लाभ के लिये क्रय की गई विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 मात्र न्यासी की प्रास्थिति रखती है और विवादित भूमि के वास्तविक स्वामी व कब्जाधारी वादीगण ही हैं। वादी क्रमांक 1 से 4 की मां प्रतिवादी क्रमांक 1 का वादीगण या उनके परिवार से कभी अच्छा संबंध नहीं रहा, वह अकारण ही झूठे मुकदमें दायर कर हर प्रकार से वादीगण को प्रताड़ित करती रही है और अपने मायके में निवासरत है। राजस्व अभिलेख में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि को विक्रय करना चाहती है, विवादित भूमि को विक्रय करने की चर्चा सुनकर वादीगण दिनांक 30.11.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास गये और विवादित भूमि को विक्रय करने से मना किया। वादीगण के समझाने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने धमकी दी कि वह विवादित भूमि को किसी सशक्त व्यक्ति को विक्रय कर देगी और मजबूरन वादीगण ने यह वाद संस्थित किया है। वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित हैं और इस प्रकार विवादित भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पत्ति है। विवादित भूमि पर वादीगण का स्वामित्व है, प्रतिवादी क्रमांक 1 मात्र न्यासी है और उसका कोई स्वत्व नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 में प्रतिवादी क्रमांक 1 का भूमिस्वामी के रूप में नाम दिखावटी है और विवादित भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी वादीगण हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है, विवादित भूमि के विक्रय हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमि के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण पर रोक लगायी जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि पर उसका स्वत्व है, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं के स्त्रीधन व अपने पितृगृह से धनराशि लाकर विवादित भूमि का प्रतिफल विक्रेता रोशन लाल को अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 से विवादित भूमि क्रय की है, प्रतिवादी क्रमांक 1 ही वास्तविक भूमिस्वामी है और राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम ही भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 के वादीगण से कभी अच्छा संबंध नहीं रहे तो प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर भूमि क्रय करने का तथ्य स्वयं में विरोधाभासी है

और वादी ने झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि के उपयोग-उपभोग का अत्यान्तिक अधिकार प्रतिवादी क्रमांक 1 को है और वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पत्ति नहीं है, विवादित भूमि की वास्तविक स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 1 है, धारा 52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम में वादीगण का हित संरक्षित है, वादीगण को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

—: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्व के संबंध में मुख्य अभिवचन यह है कि वादी क्रमांक 1 से 4 के बाबा व वादी क्रमांक 5 के पिता आशाराम ने ग्राम तोर का पुरा की भूमियों का विक्रय कर प्राप्त राशि 4,92,085/-रुपये से ही विवादित भूमि कय की है, विवादित भूमि का प्रतिफल उक्त आशाराम द्वारा अदा किया गया है और महिला को पंजीयन शुल्क में छूट होने से दिखावटी तौर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 में वादी क्रमांक 1 से 4 की माँ प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दिखावटी (बेनामी) रूप से लिखाया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि के वास्तविक स्वामी वादीगण हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 केवल न्यासी की प्रास्थिति रखती है। वादीगण के उक्त अभिवचन का यह निष्कर्ष है कि विवादित भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी उक्त आशाराम थे, प्रतिवादी क्रमांक 1 केवल बेनामीदार है और विवादित भूमि का वास्तविक स्वत्व वादीगण में निहित है।

7. जहाँ एक व्यक्ति अपने पैसे से भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कय करता है तो ऐसा संव्यवहार सामान्य भाषा में बेनामी संव्यवहार कहा जाता है और बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 ऐसे संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) (बी) के अनुसार यह दावा किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर सम्पत्ति धारित है, वह ट्रस्टी है और सम्पत्ति उस अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए है जिसके लिए वह (बेनामीदार) सम्पत्ति धारित करता है।

8. इस मामले में वादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि का प्रतिफल वादी क्रमांक 1 से 4 के बाबा व वादी क्रमांक 5 के पिता आशाराम ने दिया था और वादीगण के वास्तविक लाभ के लिए विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर न्यासी की प्रास्थिति में कय की गयी थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 5 के अनुसार स्थावर संपत्ति के संबंध में ट्रस्ट निर्वसीयती

लिखत या वसीयत द्वारा ही किया जा सकता है। इस मामले में वादीगण का ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमि क्रय किये जाते समय उक्त आशाराम द्वारा कथित ट्रस्ट का गठन निर्वसीयती लिखत के रूप में किया गया है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 के परिवर्णन में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 की प्राप्ति केवल न्यासी की है और क्रय की गयी भूमि वादीगण के लाभ व स्वामित्व के लिए क्रय की जा रही है।

9. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2007 के परिवर्णन में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख नहीं है कि क्रय की गयी भूमि का प्रतिफल क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में भी क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम ही दर्ज है और प्रथम दृष्ट्या भी यह प्रकट नहीं है कि विवादित भूमि वादीगण के लाभ के लिए क्रय की गयी थी।

10. वादपत्र के पैरा-4 में यह विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 अकारण झूठे मुकदमों में फंसाकर वादीगण को प्रताड़ित करती रही है और अपने मायके में निवास कर रही है। उक्त तथ्यों से यह प्रकट है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच वैश्वासिक या सामान्य संबंध भी नहीं हैं, ऐसी दशा में यह विश्वसायोग्य नहीं है कि वादी क्रमांक 1 से 4 के बाबा आशाराम ने वादी क्रमांक 1 से 4 की माँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर विवादित भूमि क्रय की है।

11. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वामी है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है। वाद के लम्बन के दौरान अंतरण की दशा में सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 वादीगण का हित संरक्षित करती है और वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)